भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1783
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में एनआरएलएम

1783. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में एनआरएलएम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार की जिला-वार स्थिति क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी व्यय की गई?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की अग्रणी योजना के तहत **पश्चिम बंगाल** राज्य सहित देश भर में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं के लाभप्रद रोज़गार के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं नामत: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को कार्यान्वित कर रहा है इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. **<u>दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)</u>**

डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष के बीच की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाती है और नियमित श्रम बाज़ारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाती है , जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन के साथ नौकरियाँ प्रदान की जाती हैं। डीडीयू-जीकेवाई

दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, महिलाओं के लिए 33%, और दिव्यांगजनों के लिए 5% के सामाजिक समावेशन का प्रावधान है।

ii. **<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)</u>:**

आरएसईटीआई बैंक-अग्रणीग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थाएं हैं , जिनकी स्थापना कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने ज़िलों में की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और साथ ही 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की लागत भी वहन करता है। 18-50 वर्ष की आयु समूह का कोई भी बेरोज़गार युवा जिसमें स्वरोजगार या वेतन रोज़गार अपनाने की रुचि हो , आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कुछ नियमित वेतन वाली नौकरियाँ/मजदूरी रोज़गार भी प्राप्त करते हैं।

(ख): पश्चिम बंगाल राज्य में शुरुआत से दिसंबर , 2025 तक एनआरएलएम के तहत डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित/स्थापित युवाओं का जिला-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **II** में दिया गया है।

(ग): डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई दोनों मांग-आधारित योजनाएं हैं। इसलिए , निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित नहीं की जाती हैं। हालांकि , पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष में दिसंबर 2025 तक पश्चिम बंगाल राज्य में डीडीयू-जीकेवाई और आरसेटी के तहत जारी कुल धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

पश्चिम बंगाल राज्य में पिछले 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए में)

वित्त वर्ष	**डीडीयू-जीकेवाई**	**आरएसईटीआई**
2020-21	125.95	113.29
2021-22	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.00
2023-24	16.44	1000.00
2024-25	0.00	390.66
2025-26 (दिसंबर 2025 तक)	0.00	1207.53

*****

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1783 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में योजना की शुरुआत से लेकर दिसंबर , 2025 तक प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का जिला-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	जिला	प्रशिक्षित	नियोजित
1	24 परगना उत्तर	5280	1986
2	24 परगना दक्षिण	5630	2399
3	अलीपुरद्वार	1031	625
4	बांकुडा	2593	1737
5	बीरभूम	2880	1855
6	कूच बिहार	1471	941
7	दक्षिण दिनाजपुर	707	403
8	दार्जिलिंग	616	484
9	हुगली	3805	1431
10	हावड़ा	1288	439
11	जलपाईगुड़ी	3182	2156
12	झारग्राम	1877	971
13	कलिम्पोंग	128	73
14	मालदा	916	587
15	मेदिनीपुर पूर्व	1949	1133
16	मेदिनीपुर पश्चिम	1499	886
17	मुर्शिदाबाद	2293	1411

18	नदिया	3054	1359
19	पश्चिम बर्धमान	1367	835
20	पूर्वीबर्धमान	4507	1859
21	पुरुलिया	1670	1065
22	उत्तरीदिनाजपुर	1438	816

स्रोत: कौशल भारत के अनुसार दिनांक 31.12.2025 तक के आंकड़े।

नोट: पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र नहीं है।

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1783 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरएसईटीआई के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में योजना की शुरुआत से लेकर दिसंबर , 2025 तक प्रशिक्षित और स्वरोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों का ज़िला-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	जिला	प्रशिक्षित	नियोजित
1	बांकुरा	11337	7463
2	बीरभूम	10264	7228
3	बर्दवान	10642	7253
4	कूचबिहार	6403	4768
5	दार्जिलिंग	5906	4395
6	हुगली	10781	7693
7	हावड़ा	30576	23055
8	जलपाईगुड़ी	8625	6624
9	मालदा	10220	7358
10	मिदनापुर (पश्चिम)	9967	7539
11	मिदनापुर (पूर्व)	10711	7955
12	मुर्शिदाबाद	13129	9184
13	नादिया	8898	6458
14	उत्तर दिनाजपुर	8780	6238
15	उत्तर 24 परगना	10984	9023
16	दक्षिण 24 परगना	12066	8429
17	पुरुलिया	8208	4607
18	दक्षिण दिनाजपुर	9410	6627

स्रोत: एनएसीईआर